निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 37/2024
दायरा दिनांकः—29.04.2024
निर्णय दिनांकः— 5-3-25

उनवान

1. छीतरलाल आयु 78 वर्ष आत्मज गोपाललाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. विमलादेवी आयु 72 वर्ष पत्नि छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हरिओम आयु 42 वर्ष आत्मज छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी हाल निवास अस्पताल के सामने डाक्टर हेमराज अग्रवाल की गली छबडा
3. नरेश शर्मा आयु 48 वर्ष आत्मज छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी हाल निवास सब्जीमन्डी इन्द्राकालोनी छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 5-3-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान बलरिया — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वादीगण कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 133/107 रकबा 1.7705 हेक्टर, खसरा न. 8 रकवा 0.9991 हेक्टर, खसरा न. 89 रकबा 2.0234 हेक्टर, खसरा न. 107 रकबा 1.3532 हेक्टर, खसरा न.118/3 रकबा 0.2529 हेक्टर, खसरा न. 116/2 रकबा 1.8084 हेक्टर, खसरा न.41 रकबा 0.4300 हेक्टर, खसरा न. 42 रकबा 0.1138 हेक्टर, खसरा न. 43/2 रकबा 0.2023 हेक्टर, खसरा न. 53/2 रकबा 0.026 हेक्टर, खसरा न. 94 रकबा 1.9096 हेक्टर, वाके माल ग्राम कालाखेडी तहसील छबड़ा जिला बारां राज में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। उक्त वादीगण आपस मे पति—पत्नी है तथा प्रतिवादीगण उनके पुत्र हैं। जिनकी जिविकापार्जन का एक मात्र साधन उक्त आराजीयात है। वादीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादीगण को जमीन खरीद कर अलग से दी गयी जिन पर वह काबिज हैं। इसके बाद भी प्रतिवादी क्रम 2 हरिओम द्वारा जबरन बलपूर्वक वादीया विमला को भय मे डालकर 10 बीघा भूमि अपने नाम रजिस्टर्ड दान पत्र से करवा ली एवं वादी का टेक्ट्रर ट्रोली व कृषि यन्त्र पर भी कब्जा कर लिगा है। अब वादीगण की बची उक्त भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण, कब्जा कर दीगण को उक्त भूमि व उनके मकान से बैदखल करने पर आमादा हैं। जिसक प्रतिवादी व उसके परिजन को कोई वैधानिक अधिकार नही है। वादी को अपनी उक्त आराजीयात का शान्तीपूर्वक उसका उपभोग उपयोग काश्त करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इसलिऐ प्रतिवादीगण व उसके परिजन, प्रतिनिधि द्वारा उक्त अवैध कृत्य ना करने तथा वादी शान्तीपूर्वक कब्जे काश्त एवं उसके उपभोग–उपयोग मे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने उन्हें निके राज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है जो न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। वादी दिनांक 10.3.2024 को अपनी उक्त आराजी पर गया तो वहां पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण, कब्जा करने का असफल प्रयास तो वादी ने मना किया तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ तथा वादी से लडाई–झगडे व मारपीट पर आमादा हुऐ तथा वादी को जान से मारने की नियत से लकडी से वार किया वादी वहा से जान बचा कर भागा। वरना जान से खत्म कर देता। इसके बाद प्रतिवादी हरिओम ने वादीगण को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी दी। वादी प्रतिवादी के उक्त कृत्य से भयभीत हो गए। उनके साथ कभी–भी उनके साथ अप्रिय घटना घटीत हो सकती है। इसलिए वादी उक्त आराजी के शान्तीपूर्वक उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादी को द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। वादी द्वारा उसकी भूमि के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत् प्रतिवादी को कई बार समझाया गया इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 10.3.2024 को अपनी उक्त आराजी पर गया तो वहां पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण, कब्जा करने का असफल प्रयास तो वादी ने मना किया तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ तथा वादी से लडाई–झगडे व मारपीट पर आमादा हुऐ तथा वादी को जान से मारने की नियत से लकडी से वार किया वादी वहां से जान बचा कर भागा। वरना जान से खत्म कर देता। इसके बाद प्रतिवादी हरिओम ने वादीगण को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। यदि प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधियो को वादी की आराजी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने व मेढ़ तोडकर अतिक्रमण करने की स्थिति मे अकारण ही वादी को कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणामस्वरूप वादी को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कालाखेडी सम्वत् 2074–77 खाता

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

संख्या 10 नकल जमाबन्दी ग्राम कालाखेडी सम्वत् 2074–77 खाता 82 नकल जमाबन्दी ग्राम कालाखेडी सम्वत् 2074–77 खाता 9 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 छीतरलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कालाखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रतिवादीगण वादी के पुत्र है वादी ने प्रतिवादीगण को भूमि खरीद कर अलग दे रखी है जिन पर वह काबिज है प्रतिवादी क्रम 2 ने वादिया विमला 10 बीघा भूमि अपने नाम रजिस्टर्ड दान पत्र करवा ली गई। वादी के टेक्ट्रर, ट्रोली व कृषि यन्त्रो पर भी कबजा कर लिया है वादीगण के पास बची भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी को उक्त भूमि से व मकान से बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही हे प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फमाया जावें। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल कर दिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम काल्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 10 में छीतरलाल का हिस्सा 1/2 व विमला का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम काल्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 82 में छीतरलाल पुत्र रामगोपाल का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम काल्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 9 में छीतरलाल पुत्र गोपाल का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी में चली आ रही है। यह विचारणीय है कि वादी द्वारा अपने पुत्रों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पैतृक सम्पत्ति में पुत्रो का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही अधिकार होता है ऐसी स्थिति में पैतृक सम्पत्ति के मामले मे पुत्रों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। एवं वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र/साक्ष्यों में यह साबित नही किया गया कि विवादित आराजी उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है चुकिं यह साबित करने का भार वादी पर था। इसलिए वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 37 / 2024	धारा 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 5-3-25

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री भगवान बलरिया वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. छीतरलाल आयु 78 वर्ष आत्मज गोपाललाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. विमलादेवी आयु 72 वर्ष पत्नि छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हरिओम आयु 42 वर्ष आत्मज छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी हाल निवास अस्पताल के सामने डाक्टर हेमराज अग्रवाल की गली छबडा
3. नरेश शर्मा आयु 48 वर्ष आत्मज छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी हाल निवास सब्जीमन्डी इन्द्राकालोनी छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 5-3-25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		